

# ्रअसाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 888]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2012/वैशाख 21, 1934

No. 888]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2012/VAISAKHA 21, 1934

# सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1052(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1035 (अ), दिनांक 7 मई, 2010 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 से संबंधित स्तम्भ (1) के तहत स्तम्भ (2) और (3) के तहत प्रविष्टियां छोड़ दी जाएंगी।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2010-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: — मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2012

S.O. 1052(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1035(E), dated 7th May, 2010, namely:—

In the Table to the said notification, under column (1), relating to National Highway number 17, the entries under columns (2) and (3) shall be omitted.

[F. No. NH-14013/2/2010-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, in Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. Number 1035 (E), dated 7th May, 2010.

# अधिसूचना

# नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1053(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसुचना को अनुसूची में, क्रम सं. 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"6 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए [किमी. 84.000 से किमी. 153.070 तक (गोवा/कर्नाटक सीमा-पणजी खंड) गोवा राज्य सरकार'' को छोड़कर] सं. 17, 17ए और 17बी का उतना भाग जो गोवा राज्य में अवस्थित है।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2010-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii) में प्रकाशित किया गया था और पिछली बार सं. का.आ. 452 (अ), 16 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

#### New Delhi, the 11th May, 2012

S.O. 1053(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

So much of National Highway No. 4A [excluding from km.84.000 to km.153.070 (Goa/Karnataka Border-Panji)], No.17, 17 A and 17B as are situated within the State of Goa.

State Government of Goa."

[F. No. NH-14013/2/2010-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, in Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012.